आदेश

सेवाभिलेख के समीक्षोपरान्त निम्नांकित कार्यरत/सेवानिवृत्त लिपिक/लेखोतीर्ण लिपिक/प्रधान लिपिक के वृति उन्नयन के मामलों को उनके नाम के सामने कॉलम-7 में अंकित कारण/कारणों से दिनांक–24.09.2015 एवं बाद की तिथियों को संपन्न स्क्रीनिग समिति की बैठक में लंबित/आयोग्य रखने की अनुशंसा की गयी है:–

(क) समिति द्वारा विचारोपरान्त लंबित रखे गये मामलो की विवरणी:–

क्र सं	नाम/पदनाम तथा कार्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 रिजवान अहमद, लिपिक, गोपालगंज	28.07.83	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री पर्याप्त नही रहने के कारण लंबित।
2	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, लेखोतीर्ण लिपिक, कटिहार	16.07.88	प्राप्त	X	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
3	श्री विकास कुमार, लेखापाल, पटना	16.07.04	X	X	X	सेवा पुस्तिका में अंकित नियुक्ति तिथि वर्ष 2004 है अथवा 2006 स्पष्ट नही होने के कारण लंबित।
4	श्री अमरनाथ चौधरी, लेखोतीर्ण लिपिक, नवगछिया	12.01.89	प्राप्त	X	X	नियुक्ति तिथि एवं सम्पुष्टि तिथि एक ही होने के कारण लंबित।
5	श्री महेश्वर पासवान, (से.नि.) प्रधान लिपिक, बि.सै.पु.-5, पटना	24.02.75	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
6	श्री अजय कुमार शर्मा, प्रधान लिपिक, बि.सै.पु. -5, पटना	01.12.82	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
7	मो0 मसूद हसन, (से.नि.), प्रधान लिपिक, बि.सै.पु.–1 पटना	18.11.77	X	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण।
8	श्री परशुराम राय, लिपिक, वैशाली	19.05.77	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा से विमुक्ति तिथि 20.03.04 है परन्तु सेवापुस्तिका में 20.03.14 अंकित रहने के कारण लंबित।
9	श्रीमती सौमित्र नाडुडी, लेखोतीर्ण लिपिक, पटना	24.11.88	X	X	X	लेखा परीक्षा उर्तीणता की तिथि सेवापुस्त में अंकित नहीं रहने के कारण लंबित।
10	श्री नकछेद ठाकुर, (से.नि.) प्रधान लिपिक, पूर्वी चम्पारण	30.12.72	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
11	श्री अरिंजय कुमार, (से.नि.) लिपिक, पूर्वी चम्पारण	30.12.72	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
12	श्रीमती रेणू सिंह, लेखा लिपिक, पटना	23.10.99	X	X	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।

13	श्री शिव प्रसाद रजक, लिपिक, बि. सै.पु.-18 फुलवारी शरीफ, पटना	06.12.80	X	X	X	लेखा परीक्षा की प्रविष्टि सेवा पुस्त में अंकित नहीं रहने के कारण तथा वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
14	श्री गहेश प्रसाद साह, (से.नि.) लिपिक, पटना	14.07.78	X	X	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
15	श्री अनिल कुमार, प्रधान लिपिक, नवादा	20.08.83	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
16	श्री प्रभात कुमार, (से.नि.) लेखापाल, पटना	30.05.75	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
17	श्रीनाथ ठाकुर, लेखोतीर्ण लिपिक,बि.सै.पु.–4, डुमराँव	06.02.80	प्राप्त	प्राप्त	X	माननीय न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण लंबित।
18	स्व0 निमाय चन्द्र आचार्या, लिपिक, नाथनगर	03.02.75	-	-	-	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण तथा प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. प्राप्त होने की तिथि अंकित नही रहने के कारण तृतीय पर निर्णय लंबित।
19	श्री सुरेश कुमार सिंह, प्रधान लिपिक, पटना	04.06.85	प्राप्त	प्राप्त	X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
20	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, लेखोतीर्ण लिपिक, पटना	16.10.86	प्राप्त		X	वार्षिक गोपनीय चारित्री अप्राप्त रहने के कारण लंबित। प्रथम ए.सी.पी. 29.06.10 से क्यों स्वीकृत किया गया जबकि लेखा परीक्षा पास करने की तिथि 01.11.09 से देय था ? कारण स्पष्ट करते हुए तदनुसार सुधार हेतु प्रस्ताव अपेक्षित। द्वितीय विचारण की परिधि से बाहर।

(ख) समिति द्वारा विचारोपरांत आयोग्य पाये गये मामलों की विवरणीः–

क्र. स	नाम/पदनाम तथा कार्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कमुद्दीन अंसारी, लिपिक, गोपालगंज	16.10.89	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 01.11.09 से प्रथम ए.सी.पी. मिला है। अतएव द्वितीय एम.ए.सी.पी. की अवधि अभी पूर्ण नही।
2	श्री भूषण प्रसाद, लेखा लिपिक, पटना	12.10.88	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 20.08.06 से प्रथम ए.सी.पी. मिला है। अतएव द्वितीय एम.ए.सी.पी. विचारण की परिधि से बाहर।
3	श्री मनोज कुमार साह, लेखोतीर्ण लिपिक, वैशाली	15.01.85	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 14.02.11 से प्रथम ए.सी.पी. मिला है। द्वितीय एम.ए.सी.पी. विचारण की परिधि से बाहर।
4	श्री सुनील कुमार सिन्हा, लेखोतीर्ण लिपिक, आरा	21.02.84	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 20.08.06 से प्रथम ए.सी.पी. प्राप्त हुआ है। द्वितीय एम.ए.सी.पी. विचारण की परिधि से बाहर।

5	श्री अजहरूल हक लेखोतीर्ण लिपिक, पटना	10.05.89	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 26.10.05 से प्रथम ए.सी.पी. प्राप्त हुआ है। द्वितीय एम.ए.सी.पी. विचारण की परिधि से बाहर।
6	श्रीमती आशा कुमारी, लेखोतीर्ण लिपिक, समादेष्टा कार्या0 आरा, भोजपुर	09.06.84	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 09.09.07 से प्रथम ए.सी.पी. प्राप्त हुआ है। द्वितीय एम.ए.सी.पी. विचारण की परिधि से बाहर।
7	श्री अमर कपूर, लेखोतीर्ण लिपिक, अररिया	25.06.87	प्राप्त	X	X	लेखा परीक्षा उतीर्णता की तिथि 04.02.13 से प्रथम ए.सी.पी. प्राप्त हुआ है। द्वितीय एम.ए.सी.पी. विचारण की परिधि से बाहर।

वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3ए–4–प्रो0–03/2014 10936 (वि0) दिनांक–27.11.2015 तथा गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–5926 दिनांक–16.07.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में किये गये पृच्छा एवं लंबित/अयोग्य मामलो के कारणों का निराकरण करते हुए संशोधित मनोनयन अविलम्ब भेजा जाय। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

26.11.15

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3769 /पी0–3
17–01–15–2013
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :– 26.11.15

प्रतिलिपिः–

1 सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल/बि0सै0पु0 सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2 सभी क्षेत्रीय उप–महानिरीक्षक(रेल/बि0सै0पु0 सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3 सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/ समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4 आई0टी0मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26.11.15

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्रांकः–3ए–4–प्रो०–03/2014–10936 (वि0)

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

प्रेषक,

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांकः–27/11/2014

विषयः– सरकारी सेवक को ए०सी०पी० नियमावली–2003 की कंडिका–4(5)(ii) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर विलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने वाले प्रभाव के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका–4(5)(ii) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है–

"यदि सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाए जाने के चलते ए०सी०पी० योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ ठीक 12 वर्ष के बाद न देकर विलंब से दिया जाता है तो ए०सी०पी० योजना के अधीन दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षो के बाद दिया जाएगा ।"

(2) विभागीय अधिसूचना सं०–7549, दिनांक–13/07/2010 के द्वारा ए०सी०पी० नियमावली, 2003 को निरसित किया गया है तथा विभागीय संकल्प संख्या–7566, दिनांक–14/07/2010 के द्वारा राज्य कर्मी को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए पूर्व की ए०सी०पी० योजना नियमावली, 2003 को अधिक्रमित करते हुए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 (एम०ए०सी०पी०एस० योजना नियमावली–2010) लागू कर दिया गया है जो दिनांक–01 जनवरी, 2009 के प्रभाव से प्रवृत्त है । रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत राज्य सेवकों को एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10, 20 और 30 वर्षो की सेवा पूरी करने पर ठीक उपर के ग्रेड में तीन वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

(3) वित्त विभाग से कतिपय प्रशासी विभागों द्वारा ऐसे मामले पृष्ठांकित किए जाते रहते हैं जिनमें यह परामर्श माँगा जाता है कि प्रथम वित्तीय उन्नयन में विलंब होने की स्थिति में बाद के वित्तीय उन्नयनों की तिथि किस प्रकार प्रभावित होगी ।

(4) एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार के किसी कर्मी को ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका–4(5)(ii) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन विलंब से प्राप्त होता है तथा

sec. 3A.PS/RK

द्वितीय उन्नयन उक्त नियमावली के निरसित होने के पूर्व अनुमान्य नहीं होता है तो ऐसे कर्मी को एक ही वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत द्वितीय वृत्ति उन्नयन दिनांक 01/01/2009 या 10 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमान्य होगा । उदाहरणस्वरूप किसी कर्मी की नियुक्ति की तिथि 02/02/1979 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि 31/08/2015 है । उक्त कर्मी को ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका 4(5)(ii) के तहत किसी कारण दंडादेश या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता में विलंब आदि के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक 09/08/1999 की बजाय विलंब से दिनांक 09/08/2004 के प्रभाव से प्राप्त होता है तो द्वितीय वित्तीय उन्नयन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत दिनांक-09/08/2014 के प्रभाव से अनुमान्य होगा ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(प्रभात शंकर)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-4-प्रो०-03/2014-10936 (वि0) पटना, दिनांकः-27/11/2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-4-प्रो०-03/2014-10936 (वि0) पटना, दिनांकः-27/11/2014

प्रतिलिपिः-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-4-प्रो०-03/2014-10936 (वि0) पटना, दिनांकः-27/11/2014

प्रतिलिपिः-सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.11

27-11-14

(प्रभात शंकर)

सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या–4/ब–2–10–38/2013 गृ0आ0 5926

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक

कृष्ण मुरारी प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16.07.2014

विषयः– **वर्ग– 3 के क्षेत्रीय लिपिकों को 50 वर्ष की उम्र पूर्ण होने विभागीय लेखा परीक्षा से विमुक्ति होने के पश्चात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ/प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1267 दिनांक 05.12.2013 के प्रसंग में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अंकित करना है कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के प्रावधान के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु संबंधित कर्मी को प्रोन्नति योग्य होना है। ऐसी परिस्थिति में जिस तिथि को विभागीय लेखा परीक्षा से विमुक्ति का आदेश निर्गत होता है उसी तिथि को प्रथम वित्तीय उन्नयन इन्हें अनुमान्य होगा और उक्त तिथि के बाद नियमानुसार कालावधि की गणना के परिणामस्वरूप वित्तीय उन्नयन की अनुमान्यता दी जा सकेगी, अथवा नहीं दी जा सकेगी।

अतः उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,
16/7/14
सरकार के अवर सचिव।

7591/14
16/7/14

विनय श्री
17/7/14